संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu
राजभाषा विभाग, फोर्ट एरिया / Rajbhasha Vibhag, Fort Area,
मोटी दमण / Moti Daman - 396 220

सं. रा.भा. 11(5)/ प्रोत्सा. यो. /97-18/85/93 दिनांक :- 09/07/2018

पढ़ें :- 1. कार्यालय ज्ञापन सं.II/12013/01/2011-रा.भा./(नीति/के.अनु.ब्यूरो), दिनांक 30/10/2012
2. कार्यालय ज्ञापन सं.12013/01/2011-रा.भा./(नीति), दिनांक 14/09/2016

प रि प त्र / CIRCULAR

विषय :- सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना ।

उपर्युक्त उद्देशिका में निर्दिष्ट कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में दमण स्थित संघ प्रदेश प्रशासन के कार्यालयों के लिए पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण एवं मसौदा लेखन का कार्य करते हुए 20,000 से अधिक शब्द लिखने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है ।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज करते समय हिन्दी में 20,000 से अधिक शब्द लिखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु अग्रांकित पुरस्कारों के लिए विचार किया जायेगा :-

प्रथम पुरस्कार	-	(02 संख्यक) प्रत्येक रू. 5000/-
द्वितीय पुरस्कार	-	(03 संख्यक) प्रत्येक रू. 3000/-
तृतीय पुरस्कार	-	(05 संख्यक) प्रत्येक रू. 2000/-

उक्त प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए विजित प्रतिभागियों के चयन हेतु 01/07/2018 से 30/06/2019 के दौरान हिन्दी के टिप्पण/आलेखन में लिखे गये शब्दों को केंद्र में रखा जाएगा ।

अत: सभी संबंधित कार्यालय अध्यक्षों को सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रशासन के सभी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त प्रोत्साहन योजना में भाग लें तथा दिनांक 01-07-2018 से 30/06/2019 के दौरान हिन्दी में लिखे गये शब्दों की संख्या का हिसाब रखें एवं वर्ष के अंत में इसे निर्धारित प्रपत्र में भरकर राजभाषा विभाग को भिजवाएँ।

(डॉ.अनिल कौशिक)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दमण

संलग्नक : उपर्युक्त प्रपत्र ।

सेवा में

1. सभी संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष, दमण.

प्रतिलिपि :

1. माननीय प्रशासक के निजी सचिव, सचिवालय, दमण ।
2. माननीय प्रशासक के सलाहकार की वैयक्तिक सहायक, सचिवालय, दमण ।
3. वित्त सचिव की वैयक्तिक सहायक, सचिवालय, दमण ।
4. सचिव (राजभाषा) की वैयक्तिक सहायक, सचिवालय, दमण ।
5. समाहर्ता की वैयक्तिक सहायक, समाहर्तालय, दमण ।
6. उप-सचिव (राजभाषा), दमण ।
7. लेखा निदेशक, दमण.
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना-विज्ञान केंद्र, सचिवालय, दमण को इसे सरकारी वेबसाईट पर अपलॉड करने के अनुरोध सहित ।
9. कार्यालय प्रति ।